न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/293

मिसल नम्बर– 40 / 2025

रामरतन गोचर आयु 69 वर्ष आत्मज स्व0 श्री रामकुंवार गोचर निवासी श्रीराम किराना स्टोर के पास खण्ड गॉवड़ी सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कमलेश गोचर पुत्र श्री रामरतन गोचर

2.पिंकी पत्नी कमलेश गोचर निवासी श्रीराम किराना स्टोर के पास खण्ड गॉवड़ी सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 22/8/25

उपस्थिति:–

1.श्री नंद सिह हाड़ा प्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी 69 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थी ने अपने जीवन की गाडी कमाई से एक मकान वाके श्रीराम किराना स्टोर के पीछे खण्डगॉवडी सिविल लाइन्स नयापुरा, कोटा में बनवाया था जिसमें अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थी के तीन पुत्र 1, विक्रम गोचर, कमलेश गोचर 3 धीरेन्द्र गोचर तथा पुत्री प्रमिला गोचर है जिसका विवाह श्री बनवारी गोचर निवासी–विज्ञान नगर, कोटा के साथ कर दिया है। प्रार्थी द्वारा विक्रम गोचर, कमलेश गोचर का विवाह भी कर दिया तथा पुत्र धीरेन्द्र गोचर अभी अविवाहित है। प्रार्थी का पुत्र विक्रम गोचर विवाह के पश्चात से ही अपने परिवार सहित ऑवली रोझडी, कोटा में निवास कर रहा है तथा कमलेश गोचर व एक छोटा पुत्र धीरेन्द्र गोचर अविवाहित है प्रार्थी के साथ ही निवास कर रहे है। प्रार्थी अपनी पेंशन की आमदनी से अपना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करता रहा है। प्रार्थी का पुत्र कमलेश गोचर शराबी प्रवृति का है आयेदिन प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी के साथ गाली – गलौच, लड़ाई–झगड़ा, मारपीट करता है तथा प्रार्थी की हारीबीमारी में भी सहयोग नही करता। प्रार्थी का पुत्र कमलेश एवं उसकी पत्नी भी प्रार्थी की पत्नी के साथ मारपीट करते है तथा घर से बाहर निकालने पर आमादा है, प्रार्थी की पत्नी अधिकांश बीमार स्थिति में रहती है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्वअर्जित आय से निर्मित मकान के प्रथम तल पर रहते है प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को आयेदिन धक्के मारकर घर से बाहर निकाल कर मकान में ताला लगा देता है तथा खाना भी नही देते है। प्रार्थी घर–गृहस्थी के सामान, खानेपीने के सामानो को लेकर आता है तो उन्हे फेंक देता है और कहता है कि भूखे मरो, प्रार्थी को जान से मारने पर भी आमादा है। प्रार्थी का फ्रिज भी तोडफोड दिया है। अप्राथी क्रम–1 की पत्नी अप्रार्थी कम–2 प्रार्थी को धमकियाँ देती है कि मकान हमारे नाम कर दो नही तो किसी दिन मुकदमो में फँसा दंगी। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को जान से मारने पर आमादा है तथा प्रार्थी का मकान हड़पना चाहते है। प्रार्थी की पेन्शन के पैसे भी छीन लेते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की। दिनांक 07.05.2025 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया तब से ही प्रार्थी, प्रार्थी की पत्नी दर– दर की ठोकरे खा रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने मकान में भी नही आने दे रहे है। प्रार्थीगण का प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी वर्तमान में मोहनलाल माली के मकान में कापरेन, जिला बून्दी में निवास कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से विनय है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्राथीगण के विरूद्ध स्वीकार करते हुये, अप्रार्थीगण को प्रार्थी के श्रीराम किराना स्टोर के पीछे स्थित मकान से बेदखल किया जावे तथा प्रार्थी व प्रार्थी की धर्मपत्नी को भरण–पोषण हेतु 20,000/–रू. अप्रार्थीगण से दिलवाये जावे तथा अप्रार्थीगण से प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को सुरक्षा भी सुनिश्चित की जावे तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी के प्रति किये गये अत्याचारो के लिये दण्डित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो उपरोक्त तथ्यो व परिस्थतियों मे उचित हो प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी ने अपने जीवन की गाडी कमाई से एक मकान वाके श्रीराम किराना स्टोर के पीछे खण्डगाँवडी सिविल लाइन्स नयापुरा, कोटा में बनवाया था परन्तु प्रार्थी की ओर से उपरोक्त वर्णित मकान से सम्बंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी अपनी पेंशन से अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी के उक्त कथन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी सेवानिवृत कर्मचारी है जिसे पेंशन प्राप्त होती है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान श्रीराम किराना स्टोर के पास खण्ड गॉवड़ी सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थी के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं प्रार्थी द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान के भू–तल में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करें। अप्रार्थीगण उक्त मकान के प्रथम तल पर निवास करेगें एवं किराएदार के तौर पर 4000/– रूपये महीने प्रार्थी को भुगतान करेगे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा